8. आहरण वितरण अधिकारियों हेतु दिशा–निर्देश

विषय सूची			
क0 सं0	विषय	शासनादेश संख्या तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1.	आउटसोर्स के माध्यम से नियोजित कार्मिकों को अनुमन्य मानक मदों से ही भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।	136173 / XXVII(7) / E–57680 / 2023 दिनांक 18 जुलाई, 2023	209–210
2.	आहरण–वितरण अधिकारी के सम्बन्ध में।	120125 / 2023 दिनांक 09 मई 2023	211–212
3.	विभागों में आहरण–वितरण अधिकारी घोषित किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश।	102608 / XXVII(6)ई0–49706 / 2023 दिनांक 28 फरवरी, 2023	213–214
4.	बैंक खाते के माध्यम से संचालित हो रही राज्य पोषित योजनाओं को केन्द्र सरकार के एस0एन0ए0 मॉड्यूल की भांति संचालित किए जाने के संबंध में	127544 / 33(150)2016 / XXVII(1) / 2023 दिनांक 05 जून, 2023	215–218

'136173/2023

'136173/2023

संख्या– 136173 /XXVII(7)/E-57680/2023

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 **देहरादूनः दिनांकः 18 जुलाई, 2023**

विषयः– आउटसोर्स के माध्यम से नियोजित कार्मिकों को अनुमन्य मानक मदों से ही भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कतिपय विभागों/निगमों/आयोगों/स्वायत्तशासी संस्थाओं में बिना पद स्वीकृति के बाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर ली गयी सेवाओं यथा–सफाई व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था तथा बागवानी आदि का भुगतान सम्बन्धित लेखाशीर्षक के मानक मद–'08–पारिश्रमिक' से आहरित किया जा रहा है, जबकि शासनादेश संख्या–828/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 द्वारा मानक मद–'08–पारिश्रमिक' के अन्तर्गत संविदा/अनुबन्ध अथवा बाह्य सेवा प्रदाता एजेंसी (जैसे–उपनल/ पी.आर.डी.) के माध्यम से नियमित/स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियोजित कार्मिकों को किये जाने वाले पारिश्रमिक के भुगतान की व्यवस्था है।

2. बाह्य सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर ली गयी सेवाओं (जैसे–सफाई व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था अथवा बागवानी सम्बन्धी सेवाओं) पर होने वाले व्यय मानक मद–'27– व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान' के अन्तर्गत किया जाना उपबन्धित है। स्पष्ट है कि मानक मद–27 के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष आउटसोर्स से नियोजित कार्मिकों के पारिश्रमिक का भुगतान किये जाने की व्यवस्था नहीं है।

3. उक्त व्यवस्था के विपरित कतिपय विभागों द्वारा व्यय का गलत वर्गीकरण किया जा रहा है, जो बजट मैनुअल के अध्याय–14 के बिन्दु संख्या–4 के अनुसार वित्तीय अनियमितता है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागीय स्तर पर स्वीकृत पदों के सापेक्ष किसी एजेन्सी के माध्यम से नियोजित कार्मिकों तथा बिना पद स्वीकृति के बाह्य सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर ली गयी सेवाओं के भुगतान की मानक मदों का विभागीय स्तर पर परीक्षण कर लिया जाय और यदि गलत मानक मद से आहरण किया जा रहा हो, तो इस पर तत्काल रोक लगायी जाय। उक्त शासनादेश दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 की व्यवस्था से इतर किये जाने वाले भुगतान/नियोजन की वसूली सम्बन्धित अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी के वेतन/पेंशन से की जायेगी।

भवदीय

Signed by Anand Bardhan
Date: 18-07-2023 13:17:25

(आनन्द बर्द्धन)
अपर मुख्य सचिव।

136173

संख्या– (1)/XXVII(7)/E-57680/2023, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखकार भवन, कालौगढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
6. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
10. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
11. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Ganga Prasad
Date: 18-07-2023 12:12:27
(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

'120125/2023

'120125/2023

महत्वपूर्ण/ई-मेल

संख्या- 120125/ 2023

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1.समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3.समस्त वित्त नियंत्रक/मुख्य वित्त अधिकारी/वरिष्ठ वित्त अधिकारी/वित्त अधिकारी।

वित्त अनुभाग-6 देहरादूनः दिनांकः 09 मई, 2023।

विषय- आहरण-वितरण अधिकारी के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया, अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या-102608/XXVII (6)/ई-49706/2023, दिनांक 28 फरवरी, 2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा वित्त (बजट) अनुभाग-01, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-बी-1-1704/दस/1999, दिनांक 21.04.1999 एवं वित्त (वे०आ०-सा० नि०) अनुभाग-07, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सख्या- 23/XXVII(7)/2007, दिनांक 20.04.2007 तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका (लेखा नियम) खण्ड-05 भाग 01 के नियम 400-सी की व्यवस्था का अक्षरशः अनुपालन किये जाने तथा ऐसे आहरण-वितरण अधिकारी जो उक्त शासनादेश एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका में वर्णित प्राविधानों के विपरीत कार्य कर रहे हैं, वह समस्त अधिकारी आहरण-वितरण के प्रभार से स्वतः कार्यमुक्त समझे जायेंगे, इसके लिए पृथक से आदेश करने अथवा कार्यमुक्त करने की आवश्यकता नहीं होगी, सम्बन्धी निर्देश निर्गत किए गये।

3- उक्त के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि किसी विभाग में पूर्व से आहरण-वितरण कार्य हेतु शासन स्तर से पदवार (पदनाम से) डीडीओ कोड आंवटित किया गया है, अर्थात आहरण-वितरण का कार्य किसी पद में निहित हो, तो पूर्व की भाँति ही उक्त पदधारक द्वारा आहरण वितरण का कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4- यदि किसी विभाग में आहरण-वितरण का कार्य करने वाले अधिकारी के स्थानान्तरण अथवा अन्य कारणों से आहरण-वितरण का कार्य अवरूद्ध हो जाता है, तो विभागों को आबंटित डीडीओ कोड से ही जिलाधिकारी द्वारा आहरण वितरण का कार्य किये जाने हेतु अपने स्तर से किसी सक्षम अधिकारी को शासनादेश संख्या-102608/XXVII (6)/ई-49706/2023, दिनांक 28 फरवरी, 2023 के अनुक्रम में नामित किया जायेगा, जिससे की आहरण-वितरण का कार्य विभागों में सुगमता से संचालित हो सकें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

Signed by Anand Bardhan
Date: 07-05-2023 11:51:04
(आनन्द बर्द्धन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 120125 /2023

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह राणा),
संयुक्त सचिव।

,08/2023

/2608/2023

संख्या–102608/XXVII(6)/ई0–49706/2023

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।
2. समस्त वित्त नियंत्रक/मुख्य वित्त अधिकारी/वरिष्ठ वित्त अधिकारी/वित्त अधिकारी,
   उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–6 देहरादून: दिनांक 28 फरवरी, 2023।

विषय–विभागों में आहरण–वितरण अधिकारी घोषित किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय/महोदया,

कृपया, उपर्युक्त विषयक वित्त (बजट) अनुभाग–01, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–बी–1–1704/दस/1999, दिनांक 21.04.1999 तथा वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–07, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–23/XXVII(7)/2007, दिनांक 20.04.2007 का (छाया प्रतियां संलग्न) संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा विभागों में आहरण–वितरण अधिकारी घोषित किये जाने के संबंध में वांछित अर्हता का उल्लेख करते हुए, उसका अनुपालन किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– उक्त के अतिरिक्त **वित्तीय हस्त पुस्तिका (लेखा नियम) खण्ड–05 भाग 01 के नियम 400–सी में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि** लेखा संगठन के प्रधान को भुगतान तथा प्रत्युद्धरण का कार्य न्यस्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी मामले में विभाग के प्रधान यह सोचते हैं कि इस तरह के कार्य किसी विभागीय लेखाकार को सुपुर्द करना उचित है तो वह मामले को आदेश हेतु सरकार के वित्त मंत्रालय को निर्दिष्ट करेंगे।

3– उक्तानुसार विद्यमान सुस्पष्ट व्यवस्था के बावजूद विभिन्न स्रोतों से यह तथ्य संज्ञान में आ रहा है कि विभागों में तैनात वित्त सेवा के अधिकारियों द्वारा आहरण–वितरण अधिकारी (डी0डी0ओ0) के दायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है, जो कि वित्तीय हस्त पुस्तिका (लेखा नियम) खण्ड–05 भाग 01 के नियम 400–सी. एवं इस संबंध में विद्यमान शासनादेशों का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त कतिपय अधिकारी समूह 'ख' के पद पर 05 वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने से पूर्व ही डी0डी0ओ0 के दायित्व का निर्वहन कर रहे है। यह स्थिति राजकीय वित्तीय अनुशासन के दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

4– अतः उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (बजट) अनुभाग–01, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–बी–1–1704/दस/1999, दिनांक 21.04.1999 एवं वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–07, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–23/XXVII(7)/2007, दिनांक 20.04.2007 तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका (लेखा नियम) खण्ड–05 भाग 01 के नियम 400–सी. की व्यवस्था का अक्षरशः अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा ऐसे आहरण–वितरण अधिकारी जो उक्त शासनादेश एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका में वर्णित प्राविधानों के विपरीत कार्य कर रहे हैं, वह समस्त अधिकारी आहरण–वितरण के प्रभार से स्वतः कार्यमुक्त समझे जायेंगे, इसके लिए पृथक से आदेश करने अथवा कार्यमुक्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

5– उपरोक्त निर्देशों का कडाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या से शासन को 03 दिवस में अवगत कराया जाय।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

Signed by Anand Bardhan
(आनन्द बर्द्धन) Date: 20/02-2023 14:21:50
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– / XXVII(6) / ई. 49706 / 2023 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित है कि आहरण–वितरण अधिकारी के संबंध में उक्तानुसार परीक्षणोपरांत बिलों का भुगतान करने के संबंध में यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
5. समस्त अपर सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव / अनु सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विकम सिंह राणा)
संयुक्त सचिव।

I/127546/2023

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक : 05 जून, 2023

विषयः बैंक खाते के माध्यम से संचालित हो रही राज्य पोषित योजनाओं को केन्द्र सरकार के एस.एन.ए. मॉड्यूल की भांति संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के अध्याय–16(ए) में राजकीय सहायक अनुदान (Grant in Aid) से सम्बन्धित सामान्य नियमों का विस्तार से उल्लेख है, परन्तु शासन के संज्ञान में आया है कि राजकीय अनुदान सम्बन्धित मानक मद '55–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान', '56–सहायक अनुदान (गैर वेतन)' तथा अन्य राज्य पोषित विभागीय योजनाओं हेतु अवमुक्त धनराशि शासन की अनुमति के बिना बैंक खाते में पार्क की जा रही है, जो एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है।

2– तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त प्रवृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण रखने व कुशल वित्तीय प्रबन्धन हेतु समस्त राज्य पोषित विभागीय योजनाओं, जिनका संचालन बैंक खातों के माध्यम से किया जा रहा है, को निम्नांकित प्रक्रियानुसार संचालित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) प्रारम्भिक चरण में यह व्यवस्था अब तक पूर्व से बैंक से संचालित राज्य पोषित योजनाओं पर ही लागू होगी।

(ii) सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त बैंक खाते के अतिरिक्त संचालित समस्त बैंक खातों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा।

(iii) यदि किसी प्रयोजन विशेष हेतु बैंक खाते की आवश्यकता हो या प्रचलित बैंक खाते में परिवर्तन हो तो कारण बताते हुए वित्त (व्यय नियंत्रण) विभाग की अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जाएगी।

(iv) विभागाध्यक्ष/धनराशि व्ययकर्ता स्तर पर सहायक अनुदान एवं बैंक खातों के माध्यम से संचालित अन्य योजनाओं के संचालन हेतु एक बैंक खाता चिन्हित किया जायेगा, जिसमें आई.एफ.एम.एस. के माध्यम से योजना की धनराशि अन्तरित की जायेगी तथा संबंधित वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल की ओपनिंग बैलैंस प्रविष्टि अनिवार्य अंकित की जायेगी। परन्तु वित्तीय वर्ष 2023–24 के संदर्भ में दिनांक 01 जुलाई, 2023 को ओपनिंग बैलैंस प्रविष्टि को अंकित किया जाएगा।

(v) वित्तीय वर्ष के अन्त में खाते में जमा ब्याज की धनराशि राजकोष के सुसंगत प्राप्ति शीर्षक में अनिवार्य रूप से जमा की जायेगी।

(vi) वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 अध्याय-10(ए) में उल्लिखित प्रक्रिया का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

(vii) राज्यपोषित योजनाओं से सम्बन्धित धनराशि एकल नोडल खाते (SNA) से इतर किसी भी अन्य खाते में अन्तरित नहीं किया जायेगा।

(viii) यह व्यवस्था संलग्न मानक परिचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) के अनुसार दिनांक 01 जुलाई, 2023 से लागू होगी तथा तब तक विभागों द्वारा तत्संबंधी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जायेंगी।

3- कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 05-06-2023 11:16:11
(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या : [illegible](1)/XXVII(1)/2023 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2- निजी सचिव, मा. वित्त मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
5- महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड।
6- क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून।
7- आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
8- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड को इस आशय से कि आई.एफ.एम.एस सॉफ्टवेयर में उक्त सम्बन्धित आवश्यक संशोधन सुनिश्चित कर लें।
11- सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, देहरादून।
12- गार्ड फाइल।

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या – 127544/33(150)2016/XXVII(1)/2023

राज्यपोषित योजनाओं के लिए S.N.A प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure)

1. संबंधित विभाग/स्वायत्त संस्था प्रत्येक राज्यपोषित योजना को कार्यान्वित करने के लिए एकल नोडल एजेंसी (S.N.A) के रूप में कार्य करेंगे।
2. एस.एन.ए. द्वारा सरकारी व्यवसाय करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में मुख्यालय स्तर पर प्रत्येक राज्य पोषित योजना के लिए एक एकल नोडल खाता (बचत बैंक खाता) चिन्हित किया जायेगा।
3. एकल नोडल एजेंसी (S.N.A) द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों के वर्तमान बैंक खातों को बंद कर दिया जायेगा और S.N.A मोड पर योजना को कॉन्फ़िगर करने से पहले इन खातों में पहले से पड़ी धनराशियों को S.N.A खाते में स्थानांतरित कर दिया जायेगा। यह सुनिश्चित करना संबंधित S.N.A की जिम्मेदारी होगी कि उनके अधीन सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा खर्च नहीं की गई पूरी धनराशि S.N.A के एकल नोडल खाते में वापस कर दी गयी है।
4. अम्ब्रेला योजनाओं, जिनमें कई उप-योजनाएं हों, के सम्बन्ध में यदि आवश्यक हो तो विभाग/स्वायत्त संस्था अलग-अलग एकल नोडल खातों के साथ अम्ब्रेला योजना की उप-योजनाओं के लिए अलग-अलग S.N.A नामित कर सकता है।
5. कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा S.N.A के खाते का उपयोग उस खाते के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित आहरण सीमाओं के साथ किया जायेगा। तथापि, प्रचालनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर प्रत्येक योजना के लिए शून्य-शेष सहायक खाते भी चयनित बैंक की एक ही शाखा में अथवा विभिन्न शाखाओं में कार्यान्वयन एजेंसी के लिए खोले जा सकते हैं।
6. सभी शून्य-शेष सहायक खातों हेतु समय-समय पर संबंधित S.N.A द्वारा तय की जाने वाली आहरण सीमाएं आवंटित की जाएंगी और जब भी लाभार्थियों, विक्रेताओं आदि को भुगतान किया जाना होगा, योजना के एकल नोडल खाते से वास्तविक समय के आधार पर राशि भुगतान की जाएगी। भुगतान किये जाने पर शून्य शेष-सहायक खातोंकी आहरण सीमा भुगतान की गयी सीमा तक कम हो जाएगी।
7. धनराशियों के निर्बाध प्रबंधन के लिए, एकल नोडल खाता और सभी शून्य-शेष सहायक खातों को अधिमानतः एक ही बैंक के साथ बनाए रखा जायेगा। हालांकि, S.N.A विभिन्न राज्य पोषित योजना के एकल नोडल खाते खोलने के लिए अलग-अलग बैंकों का चयन कर सकते हैं।
8. S.N.A द्वारा प्रत्येक राज्य पोषित योजना हेतु एकल नोडल खाता खोलने के लिए किसी सुदृढ़ आई.टी सिस्टम और व्यापक शाखा नेटवर्क वाले बैंक को चुना जायेगा। चुने गए बैंक के पास आवश्यकतानुसार शून्य-शेष सहायक खाते खोलने की सुविधा होनी चाहिए और प्रत्येक स्तर पर लेखांकन और मिलान हेतु सुदृढ़ MIS व्यवस्था होनी चाहिए। बैंक को कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा धनराशियों के उपयोग की निगरानी करने के लिए विभिन्न स्तरों पर उपयोगकर्ता के आवश्यकतानुसार डैशबोर्ड भी प्रदान करना होगा।
9. S.N.A द्वारा सुनिश्चित किया जाना होगा कि प्रत्येक शून्य-शेष सहायक खातों से आहरण उनको निर्धारित आहरण सीमा तक ही संभव हो। प्रतिदिन शून्य-शेष सहायक खातोंका मिलान एकल नोडल खाते के साथ किया जायेगा।
10. बैंक की सॉफ्टवेयर प्रणाली को कार्यान्वयन एजेंसियों की आहरण सीमाओं पर नियंत्रण रखने एवं भुगतान किए जाने पर S.N.A के खाते से वास्तविक समय के आधार पर धनराशि के आहरण में सक्षम होना चाहिए।

चयनित बैंक को इन खातों के सुचारू संचालन के लिए शाखा प्रबंधकों और अन्य कर्मचारियों का समुचित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करना भी सुनिश्चित करना होगा।

11. IFMS सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभागों द्वारा, S.N.A के बैंक खाते में उपलब्ध राज्य पोषित योजना की शेष धनराशियों को सम्मिलित कर, आवश्यकतानुसार अग्रेतर धनराशि जारी की जाएगी।

12. S.N.A द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि उनके द्वारा जारी की गई धनराशियों से अर्जित ब्याज अनिवार्य रूप से राज्य की समेकित निधि में जमा कर दिया जाये। अर्जित ब्याज को IFMS के साथ एकीकृत विभागीय पोर्टलों, IFMS एवं बैंकों द्वारा प्रदत्त MIS में स्पष्ट रूप से और अलग से दर्शाया जाना चाहिए।

13. वित्तीय वर्ष की शुरुआत में विभाग द्वारा, सम्बंधित वित्तीय वर्ष के लिए राज्य पोषित योजना के लिए निर्धारित राशि के 25% से अधिक जारी नहीं किया जायेगा। अपितु, यह प्रावधान उन योजनाओं के मामले में लागू नहीं होगा जहां वित्त विभाग(व्यय नियंत्रण) की सहमति से विभाग द्वारा धनराशि के रिलीज की एक अलग सीमा को स्वीकृत की गई हो।

14. S.N.A को यह सुनिश्चित करना होगा किस भी राज्य पोषित योजनाओं के अंतर्गत रिलीज की जाने वाली धनराशि कार्यान्वयन एजेंसियों के वास्तविक आवश्यकता के अनुसार हो, जिससे उनके पास आवश्यकता से अधिक धनराशि संचित न हो।

15. S.N.A को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी धन को व्यक्तिगत जमा (पीडी) खाते, सावधि जमा/फ्लेक्सी-खाता/बहु-विकल्प जमा खाता/कॉर्पोरेट लिक्विड टर्मडिपॉजिट (सीएलटीडी) या किसी अन्य खाते में अंतरित न किया जाए। S.N.A/ कार्यान्वयन एजेंसियों योजना के अंतर्गत वास्तविक भुगतान को छोड़कर किसी अन्य बैंक खाते में योजना से संबंधित धनराशियों को अंतरित नहीं किया जायेगा।

16. राज्य पोषित योजना के संचालन हेतु S.N.A के पास एक सॉफ्टवेयर होना आवश्यक है जिसमे खाता सत्यापन और भुगतान की सुविधा उपलब्ध हो।

17. S.N.A को सम्बंधित राज्य पोषित योजना के अंतर्गत धनराशि अंतरित करने से पूर्व विभागों द्वारा, S.N.A और सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को IFMS पोर्टल पर, पंजीकृत किया जाना होगा। पंजीकरण के समय सम्बंधित राज्य पोषित योजना से सम्बंधित एकल नोडल बैंक खाते एवं उसमे उपलब्ध शेष धनराशि का विवरण दिया जाना आवश्यक होगा।

18. S.N.A अनिवार्य रूप से राज्य पोषित योजना के संचालन हेतु विकसित अपने सॉफ्टवेयर को IFMS के साथ एकीकृत करेंगे जिससे वास्तविक समय के आधार पर राज्य पोषित योजना के संचालन की जानकारी IFMS पोर्टल से प्राप्त की जा सके।

19. IFMS से एकीकरण के समय राज्य पोषित योजना से सम्बंधित योजना कोड, योजना का अल्फा कोड, योजना घटकों का विवरण, कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्धारित सीमा, सफल भुगतानों का विवरण इत्यादि को API के माध्यम से IFMS के साथ साझा किया जाएगा।

20. वित्तीय वर्ष के अंत में विभागों द्वारा S.N.A को धनराशि जारी करने से बचा जायेगा ताकि S.N.A के पास अव्ययित शेष राशि के संचय को रोका जा सके।

21. विभाग कोषागार से S.N.A को धनराशि जारी करने, S.N.A और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा धनराशियों के उपयोग करने एवं प्रत्येक राज्य पोषित योजना के लक्ष्यों की तुलना में आउटपुट/परिणामों की मासिक समीक्षा करेंगे।

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 05-06-2023 11:11:28

(दिलीप जावलकर)
सचिव